

प्रेषक,

राहुल भटनागर,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2015

विषय:- प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज एवं संविदा के कर्मिकों का विनियमितीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 31 मार्च 1996 तक विभिन्न विभागों तथा विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में दैनिक वेतन, वर्कचार्ज एवं संविदा के आधार पर नियुक्त किये जा चुके ऐसे कर्मिक, जो वर्तमान में उसी स्वरूप में कार्यरत हैं तथा नियुक्ति के समय पद पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग/ संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एवं रिक्तियाँ न होने पर यथावश्यकता अधिसंख्य पद सृजित कराते हुए उनके सापेक्ष निम्न शर्तों के अधीन तात्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) सार्वजनिक उपक्रमों/ निगम/ विकास प्राधिकरण/ ऐसी स्वशासी संस्थायें, जो स्वयं के स्रोतों से संचालित हैं, उनमें उपरोक्त विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी स्थिति में की जायेगी, जब इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित उपक्रम/ निगम/ स्वशासी संस्था स्वयं के स्रोतों से वहन करने में सक्षम हों और इस अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु उन्हें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता माँगें जाने की आवश्यकता न हो।
- (2) स्थानीय निकाय, जल संस्थान, जिला पंचायत एवं ऐसी स्वशासी संस्थायें, जो शत- प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं, उनमें उपरोक्त विनियमितीकरण की कार्यवाही इस प्रतिबन्ध के अधीन की जायेगी कि इससे आने वाले अतिरिक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्ययभार को सम्बन्धित संस्था वहन करेगी और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अधिष्ठान व्यय मद को वहन करने हेतु जितने अंश की वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

- (3) उपरोक्त विनियमितीकरण में सीजनल संग्रह अमीन/ सीजनल अनुसेवक, उद्यान विभाग/ कृषि विभाग/ कृषि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सीजनल कार्य हेतु लगाये गये कार्मिको मनरेगा/ ऑगनबाडी/ आशा बहू/ होमगार्ड स्वयंसेवक / प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक/ शिक्षा मित्र अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनओं के अधीन मनादेय या अन्य आधार पर रखे गये कर्मचारियों आदि को सम्मिलित नहीं माना जायेगा।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसी नियुक्तियाँ किये जाने के कृत्य को दण्ड की श्रेणी का माना जायेगा और इस प्रकार के नियुक्त किये गये कार्मिकों को हुए भुगतान की वसूली नियुक्ति करने वाले अधिकारी के वेतन/ अन्य देयों से की जायेगी। इस आशय के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यथावश्यकता अधिसंख्य पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से कराते हुए अपने नियंत्रणाधीन विभागों तथा विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में उपरोक्तानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-44/ 2015 वे0 आ0-2-795(1)/ दस-54(एम)/ 2008 टी0 सी0, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट- । एवं ।।, 30 प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-44/ 2015वे0आ0-2-795(1)/ दस-54(एम)/ 2008 टी0सी0. तद्दिनांक

5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/ इरला चेक अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, छां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।